

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ ३-१८/२०१७/१८-५
प्रति,

भोपाल दिनांक ३/३/२०१७

- | | |
|--|--|
| १. कलेक्टर,
जिला भोपाल | २. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
भोपाल। |
| ३. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत भोपाल | ४. आयुक्त
नगर निगम भोपाल। |

विषय :—भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।


नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चर्चा करकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :— यथोपरि

Smt. [Signature]
(सुप्रिया पेडके)
अवर सचिव

Smt. [Signature]
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक ३/३/२०१७

पृ०क०—एफ ३-१८/२०१७/१८-५
प्रतिलिपि :—

✓ आयुक्त—सह—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।



20 TC

Un
०९/०३/१८

58
१०/३

AM
✓TC

DM/SJ

20 TC
१०/३/१८

10/3/18
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मध्य प्रदेश शासन
भोपाल दिनांक ३/३/२०१७

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 3-3-2017
क्रमांक-एफ-3-18/2017/18-5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

<u>अनुसूची</u>					
क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम चांदपुर	77/1 77/356/2	90.890 हेक्टेयर में से 8.00 हेक्टेयर 3.2 हेक्टेयर	कृषि कृषि	औद्योगिक शर्तः— शहर की आरामिलों के विस्थापन हेतु औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।
		योग—	11.20 हेठो		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
१३१८/८५

**Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA**

Notice

Bhopal, Dated 3 /3 /2017

No.F-3-18/2017/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Bhopal Development Plan, 2005 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Chandpur	77/1	90.890 hec. out of 8.00 hec.	Agriculture	Industrial
		77/356/2	3.2 hec	Agriculture	Industrial
		Total	11.20 Hec.		Conditions :- 1. No use other than industrial Shall be allowed for the resettlement of the saw mills of the city.

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Bhopal as well as on the web site. **www.mptownplan.nic.in** for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor Of Madhya Pradesh,


(C.K. Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Housing Department